न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारीः गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
23/2019 (GCMS 2019/00121)	08.07.2019	08.06.2022

उनवान

सरकार जरिये श्री देवेन्द्र सिंह राणावत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1—श्री महेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल डांगी (विक्रेता) मैसर्स विरम सेल्स कृषि उपज मण्डी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ निवासी पीपल चौक माहेश्वरी मौहल्ला, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

2—श्री बाबुलाल पुत्र कन्हैयालाल डांगी (मालिक) मैसर्स विरम सेल्स कृषि उपज मण्डी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ निवासी पीपल चौक माहेश्वरी मौहल्ला, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

3—श्री नवीन खण्डेलवाल पुत्र महेन्द्र खण्डेलवाल (मालिक) मैसर्स रिद्धिसिद्धि सेल्स एजेन्सीज, 23—ए, विकास नगर, बेनाड रोड़, दादी का फाटक, जयपुर निवासी ख—52, भवानी नगर, मुरलीपुरा स्कूल के सामने, सीकर रोड़, डेहर के बालाजी, जयपुर

अप्रार्थीगण

—:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::—

—:: निर्णय ::—

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह राणावत ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.11.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा

राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **H/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया हैं। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था और जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.11.2018 को समय 05.30 पी.एम. पर मैसर्स विरम सेल्स कृषि उपज मण्डी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ पर पहुंचे। वहां पर महेन्द्र कुमार डांगी पुत्र कन्हैयालाल डांगी उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ Cooking Special Krishnam व अन्य खाद्य सामग्री आम जनता को विक्रय कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर गवाहान हितेश जोशी व मुकेश जैन की उपस्थिति में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। तत्पश्चात् विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर उक्त फर्म में 1-1 लीटर, 500-500 एमएल व 200-200 एमएल तथा 15-15 लीटर की पैकिंग में खाद्य सामग्री Cooking Special Krishnam सील्ड अवस्था में विक्रय हेतु रखे पाये गये। उक्त में से 1 लीटर के सील्ड पैक को ध्यान से देखने पर उस पर Cooking Special Krishnam लोट नम्बर-180, नेट वेट 905 ग्राम, एमआरपी 345/-, डेट ऑफ पेकेजिंग-Oct-18, बेस्ट बिफोर 9 मन्थ फ्रोम पेकेजिंग, मेन्यूफेक्चरिंग बाय-सांवरिया एग्रोफुड प्रोडक्ट्स, एच-17, कालाडेरा इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जयपुर, राजस्थान अंकित पाया गया तथा विक्रेता के पास उक्त खाद्य पदार्थ Cooking Special Krishnam का खरीद बिल होना पाया गया। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत जॉच हेतु लेने के लिए विक्रेता को अवगत कराते हुए नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर **V A** की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के चार सील्ड पॉलीपैक को वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 800/- नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ को चार बराबर-बराबर भागों मे बांट कर चार प्लास्टिक डिब्बों में अलग-अलग रखकर ढ़क्कन लगाकर अच्छी तरह एयर टाईट बन्द किया। उक्त नमुना भागों हेतु 04 लेबल तैयार कर

प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-991** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार व गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमुनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमूने के एक भाग (चौथा भाग) को एक्रीएटेड लैब में जॉच कराने की प्रक्रिया जानकारी मौके पर ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त फर्मो को उनके ज्ञात पते पर रजिस्टर्ड ड़ाक से जांच रिपोर्ट की एक प्रति नियमानुसार प्रेषित की गई जिसकी मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र

Web Copy - Not Official

क्रमांक एफएसएसए/2018/4673 दिनांक 27.12.2018 द्वारा ज्ञात हुआ कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि मिसब्राण्डेड व सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया था। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रतियां संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 4673 दिनांक 27.12.2018 की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/2032 दिनांक 18.06.2018 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगण ने मिसब्राण्डेड व सबस्टैण्डर्ड Cooking Special Krishnam का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 व धारा 51 मे निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत है जिसे स्वीकार कर उक्त अभियुक्तगणों पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 देवेन्द्रसिंह राणावत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़, गवाह संख्या 2 मुकेश पुत्र लालचन्द जैन निवासी दिवाकर कॉलोनी, कॉलेज रोड़, निम्बाहेड़ा गवाह संख्या 3 हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, चित्तौड़गढ़ (मौका गवाह) गवाह संख्या 4 रोशनलाल च. श्रे. क. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (नमुना जॉच हेतु प्रयोगशाला मे जमा कराने बाबत), गवाह संख्या 5 डॉ0 इन्द्रजीत सिंह, अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ (पेपर स्लिप आदि जारी करने व न्याय निर्णयन आवेदन हेतु अधिकृत करने बाबत) पेश किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेजात प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली होकर रेकार्ड पर है।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सूचना पत्र/नोटिस प्रेषित किए गए। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सावन श्रीमाली ने अधिकार

पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप काबरा ने अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की। कई अवसर दिए जाने के बावजूद भी उनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। पुनः अधिवक्ता श्री प्रदीप काबरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिकार पत्र एवं कार्यवाही दो तरफा करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध प्रकरण पुनः दो तरफा के आदेश दिए गए। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाब पेश किया तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं करके सीधे बहस किए जाने हेतु निवेदन किया जिस पर उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने से बहस प्रकरण सुनी गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का मुख्य कथन यह रहा कि उक्त खाद्य पदार्थ जांच में मिसब्राण्ड व सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी निर्माता फर्म की है इस हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 कतई जिम्मेदार नहीं हैं। निर्माता फर्म से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा माल/खाद्य पदार्थ सील्ड पैक अवस्था में क्रय करके उसे सील्ड पैक अवस्था में ही विक्रय किया है उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। अतः जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड व सबस्टैण्डर्ड पाए जाने से निर्माता कम्पनी दोषी है अतः उनसे जुर्माना वसूली की कार्यवाही कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दोषमुक्त किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 का मुख्य कथन यह रहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही विधिनुरूप नहीं है। एफ. एस. एस. अधिनियम व इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 के तहत निर्माता कम्पनी द्वारा नियमों का सारभूत पालन किया गया है। Cooking Special Krishnam खाद्य पदार्थ पर जो जानकारी प्रदर्शित की गई वो किसी प्रकार से उपभोक्ता को भ्रमित अथवा गुमराह करने वाली नहीं है। भिन्न–भिन्न उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों में उक्त बिन्दु को निर्धारण किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में इस प्रकार के प्रकरणों में अधिरोपित पेनल्टी/अर्थदण्ड को खारिज करने के आदेश पारित किए हैं। यदि उक्त खाद्य पदार्थ पर छपी हुई जानकारी से उपभोक्ता के भ्रमित होने अथवा गुमराह होने का अंदेशा था तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी को जांच के दौरान इस प्रकार की त्रुटि को सुधारने हेतु निर्माता कम्पनी को धारा 32 के तहत नोटिस जारी कर उक्त त्रुटि सुधारने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए था जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया है जिससे सारी कार्यवाही खारिज योग्य है। साथ

ही खाद्य विश्लेषक, उदयपुर द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड व सबस्टैण्डर्ड होना बताया है किन्तु उक्त जन विश्लेषक एवं जांच प्रयोगशाला जिसने कथित खाद्य पदार्थ के नमूने की जांच की वह विधि अनुरूप अधिसूचित एवं अधिकृत नहीं है, अतः मामले का एक मात्र आधार जन विश्लेषक की जांच रिपोर्ट है जो साक्ष्य में पठनीय नहीं है। इसी मात्र बिन्दु पर मामला निरस्तनीय है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त करने का आदेश प्रदान करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 से 3 तक से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 4 एवं 5 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ Cooking Special Krishnam का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि दस्तावेज क्रमांक 5 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 6 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 02.11.2018 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 6 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 02.11.2018 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ Cooking Special Krishnam जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-991** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 62 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 7 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक रोशनलाल के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-991** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 8 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर

की रसीद दस्तावेज क्रमांक 9 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पत्रवाहक रोशनलाल द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 05.11.2018 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 11 का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। विपक्षी संख्या 1 द्वारा खाद्य पदार्थ Cooking Special Krishnam का खरीद बिल **Tax Invoice NO. 1692** दिनांक 29.10.2018 जो कि अप्रार्थी संख्या 3 मैसर्स रिद्धिसिद्धि सेल्स एजेन्सीज द्वारा विक्रेता फर्म अप्रार्थी संख्या 1 मैसर्स विरम सेल्स निम्बाहेड़ा को जारी किया गया प्रस्तुत किया, जिससे जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ विक्रेता फर्म 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से क्रय किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2018/4396 दिनांक 22.11.2018 से अप्रार्थी संख्या 3 मैसर्स रिद्धिसिद्धि सेल्स एजेन्सीज जयपुर को विक्रेता फर्म को जारी बिल एवं फार्म 5 ए की प्रति प्रेषित की गई, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2018/4673 दिनांक 27.12.2018 एवं पत्रांक 150 दिनांक 09.01.2019 से अप्रार्थीगण को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 500/Act/2018/549 Dated 19-12-2018** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई हैं, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 500/ACT/2018/549 Dated 19-12-2018** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार :–

Report No LS 500/Act/2018/549 Dated 19-12-2018

Certified that I PANKAJ KUMAR duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Devendra Singh Ranawat Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Cooking Special (Krishnam) Bearing code no, and serial no. AM-991 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.CH.O of District Chittorgarh on 05-11-2018 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 62 Intact and unbroken. Tlie seals fixed on the container and outer cover tallicd with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum, in sealed envelope.

I found the sample to be fats **oil and fat emulsions** falling under **Regulation No. 2.2.6.2 Hydrogenated vegetable oils (Bakery Shorting) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011.** The sample was in a condition fit

for analysis and has been analyzed on **20-11-2018 to 19-12-2018** and the result of its analysis is given below-

ANALYSIS REPORT---

(i) Sample description:- The sample contained in a original company pet jar pack of 905 gm. **Printed on lable made from edible vegetable oils only but the specific name of edible oils is not given and also this indicate that it is a blend of oils and sold without agmark also it is written hydrogenated vegetable oils. That indicate it is a Vanaspati. This is a misleading. Premium quality printed at lable without any certificate. Contravention to Regulation 2.2.2(2)(c) of Food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011.**

-Contravention to Regulation 2.3.14.(11) of Food safety & standards (Prohibition and Restriction on sales) Regulations 2011.

(ii) **Physical appearance:-** Whitish solid paste in appearance.

(iii) **Label :--** Brand- Krishnam, Name of Artical- Cooking Special, Mfd. by- Sawariya Agro Food Products, H-17, Kala Dera Industrial Are, Jaipur (Raj.), Pkd. On- Oct. 2018, Batch No.-180, Green symbol of veg.- Present Ingredients- This is a Krishnam Premium Quality food Contains Edible 'Vegetable Oil' only. Fssai Lic. No.- 12214026002802.

Opinion:- The sample of **Cooking Special (Krishnam)** Bearing code no. and serial no. AM-991 of Designated office (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is sub-standard as test for Sesame oil is Negative which should be Positive so does not meet as per prescribed standards & provisions as per Food Safety & standards (Food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety & satandards act 2006. The sample is misbranded food under section 3(1)(zf)(A)(i)(ii)(a)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्रसिंह राणावत द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 62 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक को प्राप्त हुआ, उक्त नमूना दिनांक 20.11.208 से 19.12.2018 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **Printed on lable made from edible vegetable oils only but the specific name of edible oils is not given and also this indicate that it is a blend of oils and sold without agmark also it is written hydrogenated vegetable oils. That indicate it is a Vanaspati. This is a misleading. Premium quality printed at lable without any certificate. Contravention to Regulation 2.2.2(2)(c) of Food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011, Contravention to Regulation 2.3.14.(11) of Food safety & standards (Prohibition and Restriction on sales) Regulations 2011. एवं** The sample of **Cooking Special (Krishnam)** Bearing code no. and serial no. AM-991 of Designated office (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is sub-standard as test for Sesame oil is Negative which should be Positive so does not meet as per prescribed standards & provisions as per Food Safety & standards (Food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety & satandards act 2006. The sample is misbranded food under section 3(1)(zf)(A)(i)(ii)(a)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.

उक्त नमूना जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-991** चस्पा है **Cooking Special Krishnam** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zx)** के तहत अवमानक (sub-standard) एवं धारा **3(1)(zf)(A)(i)(ii)(a)(C)(i)** के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रांक/एफएसएसए/2018/4673 दिनांक 27.12.18 एवं पत्रांक एफएसएसए/2019/150 दिनांक 09.01.2019 से अप्रार्थीगण को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2019/2032 दिनांक 18.06.2019 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है।

जहां तक अप्रार्थीगण द्वारा अधिनियम की धारा 32 के संबंध तथ्य उठाया गया तो इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 36 के तहत कार्यवाही संपादित की जा चुकी है ऐसी स्थिति में इस तथ्य को वर्तमान परिस्थिति में देखा जाना उचित नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में जिन न्यायिक दृष्टांतो का उल्लेख किया है उनकी प्रतियां उनके द्वारा न्यायालय के अवलोकन के लिए प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं अथवा नहीं। साथ ही विपक्षीगण/अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब परिवाद में उठाये गये तथ्यों के संबंध में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद के समस्त तथ्यों को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया गया है, एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है एवं निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का भी यह

दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है अथवा नहीं, किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है।

अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थीगण को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्तगण को अधिनियम की धारा 51 व धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। अतः हमने पत्रावली का अवलोकन कर अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्तगण को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अतः अधिनियम की धारा 49, 51 एवं 52 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्तगण अप्रार्थी संख्या 1 श्री महेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल डांगी (विक्रेता) मैसर्स विरम सेल्स कृषि उपज मण्डी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ निवासी पीपल चौक माहेश्वरी मौहल्ला, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ को राशि 10000/– अक्षरे दस हजार रूपये अप्रार्थी संख्या 2 श्री बाबुलाल पुत्र कन्हैयालाल डांगी (मालिक) मैसर्स विरम सेल्स कृषि उपज मण्डी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ निवासी पीपल चौक माहेश्वरी मौहल्ला, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ को राशि 20000/– अक्षरे बीस हजार रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 3 श्री नवीन खण्डेलवाल पुत्र महेन्द्र खण्डेलवाल (मालिक) मैसर्स रिद्धिसिद्धि सेल्स एजेन्सीज, 23–ए, विकास नगर, बेनाड रोड़, दादी का फाटक, जयपुर निवासी ख–52, भवानी नगर, मुरलीपुरा स्कूल के सामने, सीकर रोड़, डेहर के बालाजी, जयपुर को राशि 50000/– अक्षरे पचास हजार रूपये अर्थात् कुल राशि 80000/– अक्षरे अस्सी हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गितेश श्री मालवीय)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़